

FORM NO. III

फर्दअहकाम




(नियम- 26)

अज अदालतसहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी),सिवाना

वादी/वादीगण	बनाम	प्रतिवादी/प्रतिवादीगण
1 राजसिंह उर्फ राजसिंह पुत्र उत्तमसिंह जाति रावणा राजपूत निवासी पादरु तहसील सिवाना जिला बालोतरा वगैरा (2)		1 पहाड़सिंह पुत्र खीमसिंह जाति रावणा राजपूत निवासी कुण्डल तहसील सिवाना जिला बालोतरा वगैरा (6) 7 राज्य सरकार जरिये तहसीलदार सिवाना जिला बालोतरा

किस्म मुकदमा.....धारा 88,188 RT Act.

मुकदमा नंबर:-117/2024

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्सजज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
24.09.2024	वादी राजसिंह उर्फ राजसिंह की ओर से वकील श्री नेहपालसिंह ने यह वाद पत्र प्रतिवादी पहाड़सिंह वगैरा के विरुद्ध अन्तर्गत धारा 88,188 RT Act. का प्रस्तुत किया, जो दर्ज रजिस्टर हो। प्रतिवादीगण को सम्मन जारी होकर पत्रावली दिनांक 18.11.2024 को पेश हो।  (सुरेन्द्र सिंह/खंगारोत) सहायक कलक्टर (SDO) सिवाना	
18-11-24	पत्रावली पेश हुई। वादीगण वकील उपस्थित। प्रतिवादीगण की तलबी हेतु सम्मन पेश करे, सम्मन पेश करने पर जारी होकर पत्रावली आइया 26.12.2024 को पेश हो।  सहायक कलक्टर (S.D.O.) सिवाना	
26.12.24	पत्रावली आज पेश हुई। बार एशोसिएशन द्वारा रफेस रखा गया है। अतः इतना होकर पत्रावली आइया 20.02.2025 को पेश हो।	
20.02.25	पत्रावली आज पेश हुई। आज पीठासीन अधिकारी महोदय राजकीय कार्य में व्यस्त है। इतना होकर पत्रावली दिनांक 28.02.2025 को पेश हो।	
28.02.25	पत्रावली पेश हुई। वादीगण व वादीगण वकील अनुपस्थित। आज न्यायालय में वादीगण व उनके वकील के एक-एक समय में हीन-हीन बार भावाज दिखाई गई, मगर उनमें से कोई उपस्थित नहीं हुए। लिहाजा वादीगण का वाद अदम जारी व अदम पेशकी में स्वारिज किया जाता है। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर दायित्व दफ्तर हो।  सहायक कलक्टर (S.D.O.) सिवाना	

